



(☎ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं.No. 7/6/2015/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/ 181

जनवरी January 15, 2016

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस नियम संख्या 4.1 - नोट बी(ए) में संशोधन - आश्रित विधवा/तलाकशुदा/पति से अलग पुत्री के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) सुविधाओं का विस्तार

Sub : Amendment in CHSS Rule no. 4.1 - Note B(a) - Extension of CHSS facilities to dependent widowed/divorced/separated daughter

विभाग को आश्रित विधवा/तलाकशुदा/पति से अलग पुत्रियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के विस्तार के संबंध में यूनिटों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

Department is receiving proposals from Units regarding extension of CHSS facilities to dependent widowed/divorced/separated daughters.

2. विभाग में ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की धारा संख्या 4.1 नोट बी(ए) को अब निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है :

After careful consideration in the Department, it has now been decided to substitute the clause no. 4.1- Note B(a) of CHSS as under :


“विवाहित, तलाकशुदा या अन्यथा कानूनी रूप से अलग तथा विधवा पुत्रियाँ, कर्मचारी पर आश्रित होने के बावजूद इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

तथापि, तलाकशुदा/परित्यक्त/अपने पति से अलग रह रहीं या विधवा पुत्रियों के असाधारण, प्रामाणिक मामले, कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/34/2012/आईआरएण्डडब्ल्यू (खण्ड.11)/384 दिनांक 07/12/2015 के अनुसार (प्रतिलिपि संलग्न) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) नियंत्रण इकाईद्वारा गठित समिति के माध्यम से एक समय में एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए इस विभाग में अनुमोदन के लिए संस्तुत किए जाएंगे।”

“Married, divorced or otherwise legally separated and widowed daughters, even though dependent on the employee, are not eligible for medical benefits under the Scheme.

However, extra ordinary, genuine cases of divorced/abandoned or separated from their husband/widowed daughters may be recommended for the maximum period of one year at a time, through a Committee constituted by respective CHSS administering Unit [as per O.M. No. 7/34/2012/IR&W(Vol.II)/384 dated 07/12/2015 (copy enclosed)], for approval in the Department on case to case basis."

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This is issued with the approval of the Competent Authority.


(स्वाति पाण्डेय Swati Pandey)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी/All CHSS Administering Authorities :

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कलपाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कलपाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदराबाद Director, AMD, Hyderabad
- (9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCA, Indore
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC, Kolkata
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL, Mumbai
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कलपाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital, Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to :

- (1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
- (2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC&Secretary, DAE
- (4) अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि PS to AS, DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6) प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III, BARC Hospital, BARC
- (7) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE
- (9) सहायक निदेशक (राजभाषा), पऊवि Asst. Director (OL), DAE